

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 04 / 2026

अज्ञवान :-

- 1 सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

- 1 राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 सुमित्रा देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी कुन्दनलाल व विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 11 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता सं० 81/76 में अंकित कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि में से 1.518 हैक्टेयर भूमि के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। व इसी अनुसार चक 11 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 81/76 में से प्रतिवादी सं० राजेन्द्र उर्फ राजू का हिस्सा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 28/01/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



28
(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
R.A.S